



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 2019/फाल्गुन 11, 1940

No. 67]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 2019/PHALGUNA 11, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2019

सं. 1(4)/2019- एस.पी. I.—केन्द्रीय सरकार वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों के गन्ना देयों के भुगतान को सरल बनाने की दृष्टि से एतद्वारा चीनी मिलों को आसान शर्तों पर कर्ज प्रदान करने की स्कीम को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है:-

1. **ऋण का उद्देश्य-** इस ऋण को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उक्त चीनी मौसम के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी कीमत (एफआरपी) से संबंधित चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों को गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने हेतु उपयोग में लाया जाना है।

2. **ऋण देने की विधि और सीमा -**

- (i) बैंक स्वयं सचेत/संतुष्ट होने के पश्चात चालू चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों के गन्ना देयों के भुगतान को सरल बनाने हेतु 31000/- रुपए प्रति टन की दर से 40 लाख टन स्टाक मूल्य के बराबर चीनी मिलों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत जो अधिकतम ऋण उधार दिया जाएगा वह लगभग 10540 करोड़ रुपए का होगा।
- (ii) बैंक केवल उन्हीं चीनी मिलों के ऋण आवेदनों पर विचार करेगा जिन्होंने एफआरपी के आधार पर की गई गणना के अनुसार चालू चीनी मौसम 2018-19 के लिए भुगतान योग्य गन्ना मूल्य का 28.02.2019 तक 25% का भुगतान कर दिया हो।
- (iii) यह उधार सभी संगत बैंकिंग मानकों, जिनमें समय-समय पर चीनी उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों की पुनर्संरचना शामिल है, की शर्तों पर दिया जाएगा। यह

ऋण जमानत द्वारा समर्थित होगा और ऋण की सुविधा लेने वाली चीनी मिलों के ऋणाधार, जिसमें व्यक्तिगत गारंटियाँ और संस्थापक की अन्य परिसंपत्तियाँ, जो सभी ऋणधारों से मुक्त हो, अलग-अलग बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना है।

- (iv) एनपीए इकाइयां भी इस स्कीम के अंतर्गत आती है अगर संबंधित राज्य सरकारें उनके नए ऋण के लिए गारंटी देती है।
- (v) आसान शर्तों पर ऋण की मिल-वार प्रमात्रा को चीनी मौसम 2017-18 में श्वेत चीनी के बताए गए उनके उत्पादन का 10.55% को हिसाब में लेते हुए निर्धारित किया जाएगा और ऋण उन मिलों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने कम-से-कम चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में चीनी का उत्पादन किया हो।
- (vi) चीनी मिलों को चीनी मौसम 2017-18 के दौरान श्वेत चीनी के उत्पादन की मात्रा के बारे में संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त का प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित करते हुए की मिल ने चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में चीनी का उत्पादन किया है, बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) चीनी मिलों को संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त से यह इंगित करते हुए बैंक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मिल ने 28.02.2019 तक एफआरपी के आधार पर चालू मौसम 2018-19 के लिए भुगतान योग्य गन्ना मूल्य का कम-से-कम 25% भुगतान कर दिया है।
- (viii) एक बार जब ऋण स्वीकृत हो जाता है और इसके वितरण की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है तो बैंक संबंधित चीनी मिल से किसानों की सूची उनके बैंक खातों के विवरणों, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से क्रेडिट सुविधा प्राप्त की हुई है, उन किसानों का उधार खाता संख्या तथा ऐसे किसानों, जिन्होंने क्रेडिट सुविधा प्राप्त नहीं की हुई है उनका नियमित बचत खाता या चालू खाता संख्या और एफआरपी के आधार पर परिकलन से भुगतान किए जाने वाले गन्ना देयों के परिमाण के साथ जानकारी प्राप्त करेगा और चीनी मिलों की ओर से आबंटित निधि को किसानों के खातों में सीधे जमा किया जाएगा।
- (ix) चीनी मिल के लिए उपलब्ध ऋण की राशि को किसानों के शेष बकायों, जिनके देय मिलों के पास लंबित है, यथानुपात आधार पर संविभाजित किया जाएगा।
- (x) इस अधिसूचना के अनुसरण में ऋणदाता बैंकों द्वारा 31 मई, 2019 तक जो ऋण स्वीकृत और संवितरित किया जाता है, वह ब्याज माफी स्कीम के अंतर्गत आएगा।
- (xi) वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) नोडल बैंक की नियुक्ति सहित इस स्कीम का प्रचालन करने के लिए यथोचित अनुदेश जारी करेगा।

3. ब्याज माफी की सीमा

- (i) सरकार 7% की दर से साधारण ब्याज या बैंक द्वारा लिए गए वास्तविक ब्याज, इनमें से जो भी कम हो, को अधिकतम एक वर्ष के लिए ब्याज माफी के जरिए ब्याज का भार वहन करेगी। उसके बाद, चीनी मिलें उधार लिए गए ऋण की ब्याज सहित वापसी करेंगी।
- (ii) अगर कोई चीनी मिल उयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो उसे ब्याज माफी का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मिल द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता।
- (iii) 1 जून, 2019 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की विलंबन अवधि के दौरान पूर्व भुगतान पर विचार किया जाना है जिसे बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना है तथा ऋण खाते पर डीएफपीडी की ब्याज माफी दायित्व में तदनुसार कमी हो जाएगी।

4. केंद्रीय सरकार द्वारा ब्याज माफी राशि के भुगतान की विधियाँ

- (i) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) डीएफएस द्वारा नोडल बैंक को ब्याज माफी राशि अग्रिम रूप में जारी करेगा।
- (ii) यह राशि अग्रिम तौर पर जारी की जाएगी बशर्ते कि पिछली तिमाही में बैंक द्वारा जारी राशि पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ संवितरण के विवरणों को प्रस्तुत किया गया हो।
- (iii) डीएफपीडी द्वारा ब्याज माफी के लिए अग्रिम जारी निधियों को ब्याज वहन करने वाले खाते में रखा जाएगा ताकि इसके जारी होने की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए तथा संबंधित चीनी मिल के खाते में क्रेडिट होने तक इस राशि पर ब्याज अर्जित हो सके।
- (iv) ब्याज माफी पर हुए खर्च को संपूर्णतः भारत के समेकित कोष से पूरा किया जाएगा।

5. उपयोगिता प्रमाण पत्र –

संबंधित चीनी मिल को अपने से संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि ऋण राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कर लिया गया है, विधिवत रूप से प्रति-हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य चीनी/गन्ना आयुक्त भी ऋण के उपयोग की निगरानी करेंगे।

6. जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकती है अथवा संशोधन कर सकती है।

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2019

No. 1(4)/2019-S.P.-I.— The Central Government, with a view to facilitate payment of cane dues of the farmers for the current sugar season 2018-19 hereby notifies the scheme for extending soft loan to sugar mills as under:

1. Purpose of loan: The loan is to be used for payment of cane price arrears of farmers for the sugar season 2018-19 relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane fixed by the Central Government for that sugar season.

2. Modalities and Extent of loan:

(i) The banks will provide, after due diligence, soft loan to sugar mills to facilitate payment of cane dues of farmers for the current sugar season 2018-19 equivalent to 85% of stock value of 40 Lakh MT @ Rs. 31000/- per MT. The maximum loan that can be advanced under the scheme shall be about Rs.10540 crore.

(ii) The Bank will consider the loan application of only those sugar mills which would have cleared at least 25% of the cane price payable for current sugar season 2018 –19 calculated on the basis of FRP as on 28-02-2019.

(iii) The lending will be subject to all relevant banking norms including restructuring guidelines as notified by RBI for the sugar industry from time to time. The loans will be backed by security and collateral of the sugar mill availing the loan including personal guarantees and other assets of promoters which are free from encumbrances to be decided by the individual banks.

(iv) The NPA units are also covered under the scheme provided the State Government concerned gives guarantee for their new loans.

(v) The mill-wise quantum of soft loan shall be determined by taking into account 10.55 % of their reported production of white sugar in sugar season 2017-18 and this loan will be available to those mills which have undertaken sugar production in the sugar seasons 2017-18 and 2018-19.

(vi) The sugar mills shall furnish to the banks a certificate from respective sugar/cane commissioner relating to the quantity of white sugar production during sugar season 2017-18 and certifying that the mill has undertaken sugar production in the sugar seasons 2017-18 and 2018-19.

(vii) The sugar mills shall also furnish to the banks a certificate from respective sugar/cane commissioner indicating that the mill has cleared at least 25% of the cane price payable on the basis of FRP for current sugar season 2018-19 as on 28. 02.2019.

(viii) Once the loan is sanctioned and necessary formalities for disbursement are completed, the Bank will obtain from the respective sugar mill the list of farmers along with bank account details, borrowable account numbers of farmers who have availed credit facility from the banking system, and regular saving bank or current account numbers in respect of farmers who have not availed any credit facility, and the extent of cane dues to be paid computed on the basis of FRP and shall directly remit the funds allocated into the accounts of farmers on behalf of the sugar mill.

(ix) The loan amount available to a sugar mill shall be apportioned on a pro-rata basis in accordance with outstanding arrears of the farmers whose dues are pending with the mill.

(x) All loans which are sanctioned and disbursed by 31st May, 2019 by the lending banks, pursuant to this notification, would be covered under the interest subvention scheme.

(xi) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks to operationalise the scheme including appointment of a nodal bank.

3. Extent of Interest Subvention:

(i) The Government will bear interest burden by way of interest subvention @ 7% simple interest or actual rate of interest charged by the bank, whichever is less for maximum of one year from the date of disbursement of the loan. Thereafter, sugar mills will be responsible for repaying the loan advanced by the banks under this scheme along with the interest amount.

(ii) If a sugar mill fails to submit the utilization certificate, the benefit of interest subvention will not be available as long as the utilisation certificate is not submitted by the mill.

(iii) Pre-payment during the period of one year commencing from 1st June, 2019, will be considered to be decided by the bank and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

4. Modalities of payment of interest subvention amount by Central Government:

(i) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS.

(ii) The amount shall be released as advance subject to furnishing of disbursement particulars as well as interest earned by the bank on the amount released in the previous quarter. The interest earned on the subvention advance shall be adjusted in the quarterly instalments from 2nd quarter onwards.

(iii) Funds released by DFPD in advance towards interest subvention shall be parked in interest bearing accounts so that interest is accrued on this amount for the entire period commencing from the date of its release and till it is credited into the account of the respective sugar mills.

(iv) The expenditure on interest subvention would be entirely met from Consolidated Fund of India (CFI).

5. Utilization certificate:

The sugar mill concerned shall submit utilization certificate duly counter-signed by the respective sugar/cane commissioner certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The State sugar/cane commissioner shall also monitor the utilization of the loan.

6. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, relax / modify any of the provisions of this Scheme.

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.